महिला की हत्या की वारदात का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

■ पुलिस ने एक बालक को निरूद्ध किया, एक आरोपी मृतका का सगा पोता है

सरवाड़, (निसं)। सरवाड़ थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को निरूद्ध किया है एक आरोपी मृत महिला का सगा पोता है बताया जाता है कि नशे की लत ने पोते को अपनी दादी का हत्यारा बना दिया पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि अपने दो अन्य साथियों के साथ चोरी की नीयत से घर में घुसे पोते ने जाग होने पर दादी के सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या की है जाग होने पर किया हमला वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अपने दो साथियों के साथ दादी के घर में चोरी कर रहा था खटपट की आवाज सुनकर पास के कमरे में सो रही दादी जाग गई इसके बाद उन्होंने दादी के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई दादी पर हमला करने के बाद तीनों जने नकदी चोरी कर मौके से भाग छूटे, सूने मकान में किसी तरह का सहारा नहीं मिलने से दादी ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया।

मामला गत 22 जुलाई को सरवाड़ में बस स्टैंड के पीछे स्थित एक मकान में रहने वाली 70 वर्षीय वृद्धा रामेश्वरी देवी पत्नी जेठमल सिसोदिया गाछा की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी बहू सुबह चाय लेकर घर पहुंची तब वारदात का पता चला महिला अपने कमरे में मृत अवस्था में मिली महिला के नाक से खून बह रहा था वहीं चोट के निशान भी थे पास के एक कमरे में आलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था हत्या की वारदात का पता चलते ही सरवाड़ थाना पुलिस मय जाब्ता मौके पर पहुंच गई पुलिस ने मृतका के पुत्र पुरुषोत्तम की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की पुलिस के उच्चाधिकारी पहुंचे मौके पर मामला बुजुर्ग महिला की हत्या से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, एएसपी रामचंद्र सिंह, डीएसपी हर्षित शर्मा भी मौके पर पहुंचे और वारदात के बारे में जानकारी ली सूचना पर अजमेर से डॉ स्क्वयाड व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित किए पुलिस पड़ताल में पता चला कि मृतका रामेश्वरी देवी के तीन पुत्र हैं जो सरवाड़ कस्बे में अलग मकान में रहते हैं वहीं बुजुर्ग महिला पुश्तैनी मकान में रहती थी पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। वहीं दाग संस्कार में पोता अनजान बनकर सभी रस्में निभा रहा था। तकनीकी साक्ष्यों से हुआ खुलासा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में विशेष टीमों का गठन कर जांच शुरु की गई टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा आसूचनाएं संकलित की पोते पर संदेह होने पर पुलिस ने उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जिसमे वह टूट गया और अपने दो साथियों के साथ दादी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार मृतका के पोते तुषार उर्फ रानू उर्फ राणा पुत्र जितेन्द्र गाछा सिसोदिया निवासी चमन चौराहा कोटा रोड सरवाड़ एवं सांवरा उर्फ सांवरलाल उर्फ गल्या पुत्र रामदेव निवासी लिंक रोड सरवाड़ को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वहीं विधि से संघर्षरत एक बालक को निरूद्ध किया गया है हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी सत्यवान सिंह, एएसआई बदरूद्दीन, हैड कांस्टेबल नारायण राम कांस्टेबल कल्याण सिंह दातार सिंह, हरिराम व अर्जुन शामिल है।

छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता पर किया जागरूक

अजमेर, (कासं)। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में प्रत्येक स्कूल की 50 छात्राओं और अध्यापकों ने भाग लिया। संस्था प्रतिनिधि चंदू गिरी, उषा, योगिता द्वारा एप्रन व फ्लिप चार्ट के माध्यम से मासिक धर्म से पहले के तनाव को कम करने के लिए प्राणायाम, अधिक या कम रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए योगासन, स्वस्थ पीरियड के लिए उचित खुराक लेने की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम लामाना, रामपुरा अहिरान, दांता, जटिया, मांगलियावास सहित अन्य 20 राजकीय स्कूलों में आयोजित किया गया। लामाना की प्रधानाचार्य श्रीमती अंजू सारावता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बेटियों को इस अति संवेदनशील विषय को समझने में मदद मिलेगी और उनका आने वाला जीवन अधिक स्वस्थ और प्रसन्नता से भरा होगा।

जानलेवा हमले के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

परबतसर, (निसं)। कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक दिनेश चंद्र मालाकार ने बताया कि अपर सेशन न्यायाधीश हनुमान सहाय जाट परबतसर द्वारा आरोपी हरिराम, कमला व सरलता निवासी राबड़ियाद को रुपाराम पर जानलेवा हमला करने व रमेश के साथ मारपीट करने पर तीन वर्ष के कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई तथा रुपाराम व रमेश निवासी झालरा को भी मारपीट का दोषी मानते हुए तीन वर्ष तक सदाचार बनाने हेतु पाबंद किया। मामले के अनुसार 18 जून 2018 को ग्राम राबड़ियाद बस स्टैण्ड पर हरिराम, कमला व सरिता निवासी राबाड़ियाद के द्वारा रूपाराम व रमेश निवासी झालरा के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे उनके गम्भीर चोटें आयी व दोनों और मारपीट में हरिराम व सरिता के भी रुपाराम व रमेश के हाथ से चोटें लगी, जिस पर दोनों पक्षकारों की ओर से पुलिस थाना परबतसर में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

सरकारी भूमि पर भूमाफिया काट रहे कॉलोनियां

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्मिक अधिकारियों की मिली भगत के चलते प्राधिकरण की भूमियों पर कॉलोनाइजर द्वारा अनैतिक तरीके से कुटरचित दस्तावेज तैयार कर सरकार भूमि पर भूमाफिया कॉलोनियां काट रहे है। भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने जिला कलेक्टर एवं एडीए अध्यक्ष डॉ.भारती दीक्षित को ज्ञापन व दस्तावेज सौंपकर कार्यवाही की मांग की है।

भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित को एडीए की सरकारी भूमि को बेचने के संदर्भ में विस्तृत विवरण खाता और खसरा नंबर नक्शा सहित अवगत कराते हुए बताया कि राजस्व ग्राम कोटड़ा भूअभिनि, अजमेर तृतीय के राजस्व ग्राम कोटडा भूमि के खाता संख्या 122 नया एवं खाता संख्या पुराना 11 खसरा नंबर जोकि वर्तमान में अभी नगर सुधार न्यास के नाम अंकन दर्ज है, जिसमें खसरा नंबर साबिक खसरा नंबर 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 जिनके हाल वर्तमान खसरा नंबर 158, 159 मि, 160एमि, 161, 174 खसरा नंबर जो कि वर्तमान में उक्त भूमि का संपूर्ण हिस्सा नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि अजमेर मास्टर प्लान 2033 के तहत बारानी कृषि भूमि (ग्रीन बेल्ट) घोषित है, जो कि पुष्कर रोड की उप सडक़ के पास स्थित है, एवं बरसाती नाले की भूमि है, परंतु कुछ भू-व्यवसायों द्वारा बिना भूमि रूपांतरण के उपरोक्त कृषि भूमि पर मिली भगत से लगातार प्लॉट काट कर बेच दिए जा रहे हैं, उक्त भूमि राज्य सरकार की करोड़ों रुपए की भूमि है जिसे खुर्द-बुर्द करके बेचा जा रहा है।

उन्होंने अजमेर के ग्रीन बेल्ट और अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज सरकारी भूमि को बचाने के लिए सक्षम स्तर पर कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

अजमेर, (कासं)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राज्य सरकार द्वारा निजी हाथों सौंप जाने को लेकर शुक्रवार को संयुक्त संघर्ष समिति पीएचईडी राजस्थान के बैनर ताले पीएचईडी के अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पर सरकार के निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रोष जताया और जिला कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीएचईडी विभाग को आरडब्ल्यूएसएस में निजीकरण नहीं करने की मांग की। उन्होंने मांग नहीं माने जाने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। आगामी 29 जुलाई को विधानसभा व मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी भी दी।

संयुक्त संघर्ष समिति पीएचईडी राजस्थान पीएचईडी के अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मचारी ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष बजट 2024-25 की घोषणा संख्या 190(11) में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी कार्यो, कार्मिको एवं पेयजल योजनाओ सहित निजी हस्तांतरित (आरडब्ल्यूएसएससी) को सौंपने की कार्यवाही प्रस्तावित की है, सरकार के इस निर्णय को लेकर विभागीय पीएचईडी के अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

विधानसभा व मुख्यमंत्री का घेराव 29 को:- पीएचईडी के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य सरकार की उदासीनता के चलते संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर ताले सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई तक राज्य सरकार ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 29 जुलाई से पीएचईडी के अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी जल भवन जयपुर पर एकत्रित होकर प्रदेशस्तरीय आंदोलन के तहत विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शन व घेराव के चलते आमजन को होने वाली परेशानी की जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।

जेएलएन अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस नहीं होंगी खड़ी

अजमेर, (कासं)। शहर के बढ़ते यातायात दबाव के चलते जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर यातायात पुलिस शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कमर कस ली है। शुक्रवार को अस्पताल अधीक्षक और यातायात निरीक्षक ने जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के बाहर खड़ी एंबुलैंस को हटाने के निर्देश दिए। अब यह एम्बुलेंस पटेल मैदान के पास खड़ी होंगी। साथ ही यहां पर एक प्री-पेड बूथ भी लगाया जाएगा ताकि कोई एंबुलैंस चालक अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा।

यातायात निरीक्षक भीखाराम काला ने बताया कि शहर के बढ़ते यातायात दबाव के मद्देनजर शुक्रवार से संभाग के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के बाहर खड़ी एंबुलैंस वाहनों को वहां से हटा कर पटेल मैदान के पास खड़ा करने के दिशा निर्देश दिए गए है। साथ ही उक्त स्थान पर एक प्री-पेड बूथ भी लगाया जाएगा, नंबर से एंबुलैंस वाहनों का संचालन किया जा सकेगा, जिससे कोई एंबुलैंस चालक अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। अस्पताल प्रशासन और यातायात विभाग ने कार्यवाही करते हुए अस्पताल में प्री-पेड बूथ सेवा लागू करने की पहल की है। यातायात पुलिस निरीक्षक भीखाराम काला ने अब नौ पार्किंग में खड़ी होने वाली बस, कार व बिना हेलमेट वालों के ईचालान बनाए जा रहे है। शुक्रवार को आजाद पार्क के पास खड़ी प्राइवेट बसों के ई-चालन काटे गए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ई-चालान का मैसेज वाहन चालक के पास चला जाता है। दस ई-चालान तक वाहन चालक ने जुर्माना जमा नहीं करवाया तो वाहन को जप्त किया जाएगा। बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों के भी ई-चालान किए जा रहे हैं। यातायात विभाग ने शहरवासियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी।

जेएलएन अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के बाहर खड़ी एंबुलैंस वाहनों के चालकों से समझाइश की गई है।

कार्यशाला आज से

अजमेर, (कासं)। संस्कार से सेवा के साथ यह लायनेस्टिक वर्ष 2024-25 का प्रारंभ प्रांतपाल लायन श्यामसुंदर मंत्री की अगुवाई में हुआ। इसी आशा और विश्वास के साथ बच्चो में संस्कार विकसित करने हेतु प्रांत और मल्टीपल की प्रथम दो दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 27 और 28 जुलाई को भीलवाड़ा में अटुन रोड स्थित विटी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित की जा रही है। डिस्ट्रिक मीडिया कॉर्डिनेटर लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कार खोते जा रहे हैं, साथ ही संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली हैं।

श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल की मासिक बैठक आज

अजमेर, (कासं)। श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल, अजमेर की मासिक बैठक 27 जुलाई शनिवार को सांय 5:00 बजे से संस्था अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जनकपुरी, गंज अजमेर में रखी गयी है। संस्था अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि बैठक का शुभारंभ ईश वंदना के साथ होगा, इसके पश्चात महासचिव प्रवीण अग्रवाल द्वारा गत मासिक बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन कराया जायेगा, इस अवसर पर संस्था के जिन सदस्यों का इस माह जन्मदिन आता है उनका व संस्था के नये सदस्यों का अभिनंदन किया जायेगा।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की राजस्व ग्राम घूघरा, अजमेर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 166, खसरा संख्या 383 एवं 384 क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती अचला उपाध्याय पत्नि स्व.श्री युगल किशोर उपाध्याय निवासी 166 बैंक कॉलोनी, कायड़ रोड़, घूघरा अजमेर की मृत्यु दिनांक 22/04/2024 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमशः (1) रितेश उपाध्याय पुत्र स्व. श्री युगल किशोर उपाध्याय (2) यश उपाध्याय पुत्र स्व. श्री युगल किशोर उपाध्याय निवासी (दोनों) 166 बैंक कॉलोनी, कायड़ रोड़, घूघरा अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ./24-25/भवन/338 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 26/7/2024

श्री सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र श्री नाथूलाल अग्रवाल निवासी 351/08 गणेश चौक पट्टी कटला अजमेर द्वारा एक सम्पति जिस पर ए. एम. सी. नं. VII / 412 = 407/14 = 503/39 एवं ए.एम.सी. नं. 406/14 पुराने व नये 502/ 39 अंकित है, जो वाके नला बाजार अजमेर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 36.10 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।

पूर्व : श्री सुजानमल पाटनी की दुकान — पश्चिम - दुकान नौरतमल पाटनी की

उत्तर : खादिम अंजुमन कमेटी का गेस्ट हाऊस — दक्षिण - आम रास्ता 25 फुट चौड़ा है।

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/ संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: LU2012/ADA/2024-25/101243 दिनांक: 26/07/2024

लोक सूचना

श्रीमति AMARI पत्नी श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति BHOLI पत्नी श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री BIRADA पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति DEBU पुत्री श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री DHAR SINGH पुत्र श्री NANU SINGH/SURAJMAL जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री GUAN SINGH पुत्र श्री KHEEV SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति GULABI पुत्री श्री NANU SINGH/SURAJMAL जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति HANGARI/SHRINGARI पुत्री श्री KHEEV SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री HARI पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति KAMALA पुत्री श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री KAN SINGH पुत्र श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति KELI पुत्री श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री KESAR SINGH पुत्र श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MAKHAN SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MALLA SINGH पुत्र श्री KHEEV SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MANNA SINGH पुत्र श्री NANU SINGHSURAJMAL जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MOHAN SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MOTA SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री NARAYAN पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री OM SINGH पुत्र श्री NANU SINGH/SURAJMAL जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री PADAM SINGH पुत्र श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री PRABHU SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री RAJU पुत्र श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति RUPI पुत्री श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति SHANTI पत्नी श्री NANU SINGH /SURAJMAL जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री SUKHDEV /SUKKHA पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	AMARI W/O BHANWAR SINGH & OTHERS	5986/1413	18177	1.8177
2.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	DEBU D/O HEM SINGH	5987/1413	219	0.0219
				कुल	1.8396

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-07-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक: LU2012/ADA/2024-25/101240 दिनांक: 26/07/2024

लोक सूचना

श्रीमति AMARI पत्नी श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति BHOLI पत्नी श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री BIRADA पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री DHAR SINGH पुत्र श्री NANU SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति GULABI पुत्री श्री NANU SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री GUMAN SINGH पुत्र श्री KHEEV SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति HANAGARI/SHRANGAARI पुत्री श्री KHEEV SINGH जाति RAWAT निवासी MAKRWALI
श्री HARI पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति KAMALA पुत्री श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री KAN SINGH पुत्र श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति KELI पुत्री श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री KESAR SINGH पुत्र श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MAKHAN SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MALLA SINGH पुत्र श्री KHEEV SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MANNA SINGH पुत्र श्री NANU SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MOHAN SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री MOTA SINGH पुत्र श्री UGAM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री NARAYAN पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री OMSINGH पुत्र श्री NANU SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री PADAM SINGH पुत्र श्री HEM SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री PRABHU SINGH पुत्र श्री UGAN SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री RAJU पुत्र श्री BHANWAR SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति RUPI पुत्री श्री UGAMSINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्रीमति SHANTI DEVI पत्नी श्री NANU SINGH जाति RAWAT निवासी MAKARWALI
श्री SUKHDEV/ SUKKHA पुत्र श्री BHAIRU जाति RAWAT निवासी MAKARWALI

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	AMARI WO BHANWARSINGH & OTHERS	1312/4580	200	0.02
2.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	AMARI WO BHANWARSINGH & OTHERS	5980/1311	515	0.0515
3.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	AMARI WO BHANWARSINGH & OTHERS	5984/1403	11103	1.1103
4.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	AMARI WO BHANWARSINGH & OTHERS	5979/1311	50	0.005
5.	माकड़वाली , अजमेर (अजमेर)	AMARI WO BHANWARSINGH & OTHERS	5983/1403	278	0.0278
				कुल	1.2146

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-07-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन उत्तर
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.वि/निर्माण स्वी./2024/1825 **आम सूचना** दिनांक : 18.7.2024

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपत्ति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबूत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
56	स्नेहलता कोठारी पत्नी मुकेश कोठारी	विमर्श सागर रेजीडेन्सी बरल द्वितीय ख.सं. 1194, 1269, 2508/1475, 2509/1475, 1487/1268 भू.सं. 50	125.41 SQ.MTR	आवासीय
57	अशोक कुमार पुत्र रामपाल सिंह महला	श्यामनगर बरल द्वितीय 811 भू.सं 07	153.285 SQ.MTR	आवासीय
58	सुन्दर देवी पत्नी बाबूलाल	विजय कॉलोनी बरल द्वितीय ख.सं. 1034 भू.सं. 03 का उत्तरी हिस्सा	55.74 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका बोरावड
जिला-डीडवाना-कुचामन

क्रमांक -न.प.म/90ए/24-25/297 **लोक सूचना** दिनांक : 26.7.2024

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदार द्वारा गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत अधिकारों के निर्वापन के लिए प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	आवेदनकर्ता का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
1.	श्री जमील अहमद, श्री लतीफ अहमद, श्री शकील अहमद पिसरान श्री हाजी मोहम्मद उमर निवासी बोरावड	तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन	बोरावड	149	3365 वर्गमीटर	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतः इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेज के साथ अपनी आक्षेप प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 26-07-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बोरावड

कार्यालय ग्राम पंचायत करांटी, पंचायत समिति भिनाय, जिला केकड़ी (राज.)

क्रमांक :- 2024-25/182 दिनांक - 26.07.2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना-/2024-25/182

ग्राम पंचायत करांटी में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 30.7.2024 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan. gov.in देखी जा सकता है।

UBN NO. ZAJ2425GLRC00326

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करांटी — ग्राम पंचायत करांटी
पंचायत समिति भिनाय — पंचायत समिति भिनाय

कार्यालय ग्राम पंचायत सोबडी, पंचायत समिति भिनाय, जिला केकड़ी (राज.)

क्रमांक :-ग्रा.प.सो/2024-25/

दिनांक - 26.07.2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना-/2024-25

ग्राम पंचायत सोबडी में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 30.7.2024 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan. gov.in देखी जा सकता है।

UBN NO. ZAJ2425GLRC00330

सरपंच — ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सोबडी — ग्राम पंचायत सोबडी

NAME CHANGE

I, SHWETA BHARTI, is Spouse of Army No.15787526Y Rank : HAV, Name: RAJMNI PRASAD, Residing At Vill. KEWAI BIGHA Post DAHPAR, Teh: BIHAR SHARIF Dist- NALANDA, State BIHAR Pin- 803114 have change my Name from SWETA BHARTI to SHWETA BHARTI vide Affidavit No.BW 247716 Dated 22/07/2024 before Court campas Nasirabad

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/94323
DATE :- 26.07.2024 रजि. हक-परित्याग

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/ 2024-25 /4745
दिनांक 26/07/2024

सार्वजनिक सूचना

श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री कालू सिंह ने क्षेत्र नं. 5, वैशाली नगर गणेशपुरा खसरा नं. 32/2 प्लाट नं. 32 का पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 106.52, वर्गगज जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कालूसिंह के नाम दर्ज है। रजि. हक-परित्याग दिनांक 22.07.2024 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नही होगी।

आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर द्वितीय
श्रीमती सरस्वती देवी विरुद्ध विनोद कुमार गर्ग व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र T-I
प्रार्थना-पत्र संख्या 569/2024 सन्

1. विनोद कुमार गर्ग पुत्र श्री शिवचन्द गर्ग पता :- 159 केसरगंज, अजमेर
2. महेश चन्द पुत्र श्री किन्नामल खण्डेलवाल पता- केसरगंज अजमेर (राज)

उक्त श्रीमती सरस्वती देवी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द परमाने हेतु अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 31/7/2024 को 10:30 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 25 माह 07 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर — सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर द्वितीय

(संख्यांक 2) विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर द्वितीय
श्रीमती सरस्वती देवी विरुद्ध विनोद कुमार गर्ग व अन्य
वाद बाबत C-5 वाद संख्या 584/2024

1.नाम विनोद कुमार गर्ग पता. - मं0 न0 - 159, केसरगंज, अजमेर (राज0) 2. महेश चन्द पुत्र श्री किन्नामल खण्डेलवाल पता :- केसरगंज अजमेर (राज.) सरस्वती देवी ने आपके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 31 माह 07 सन् 2024 को दिन में 10:30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 25 माह 07 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया।

मुहर — सिविल न्यायाधीश एवं महानगर (पश्चिम) जयपुर महानगर द्वितीय

ENGINEERING COLLEGE BHARATPUR
(A Constituent College of Rajasthan Technical University, Kota)
Village-Shyorana, Near Sewar & National Highway-21, Bharatpur-321303
www.ecbharatpur.ac.in Email : principal.gecbharatpur@gmail.com Ph.: 05644-234911

No. F1(1)/GECBH/2024-25/RHTEQIS/Recruitment (ATA)/41 Date: 25.07.2024

CONTRACTUAL APPOINTMENTS (ASSISTANT TEACHING ASSOCIATES)

In compliance of the Technical Education Department, Govt. of Rajasthan order No. एफ 11(4)त.शि./2001 पार्ट वोल्यूम-1 दिनांक 03.05.2023 applications, in prescribed format, are invited from interested eligible candidates for contractual appointment on the post of **Assistant Teaching Associate** in various departments under Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvement Scheme (RHTEQIS) at monthly fixed remuneration of INR 28850/- (Rupees Twenty Eight Thousand Eight Hundred Fifty only).

CSE (A.I.&D.S.)-01	CSE-02	Mechanical Engineering-01	Maths-01	Total
SC(F)-01	UR(F)(Widow)-01 EWS-01	ST-01	UR-01	05

**For Physically Challenged Reservation as per norms.

These contractual appointments, on merit basis, shall be made under Rajasthan Contractual Hiring on Civil Posts Rules 2022 for a period of ONE YEAR (extendable on satisfactory performance) or termination of the Scheme, whichever is earlier. Qualifications and experience for these posts will be as per norms of AICTE/UGC applicable for Teaching Posts as on date. Reservation applicable as per DOP, Govt. of Raj. order no. प. 7(2)कार्मिक/क-2/19, दिनांक 24.02.2020.

Candidate will have to attach following documents with application : DD/BC for INR 200/- (Two Hundred only) towards application fee in favor of **Principal Engineering College Bharatpur**, Self-attested photo copies of Educational qualifications (mark sheets & certificates), GATE Score Card, Caste Certificate, Certificates of experience, document related to conversion of CGPA into percentage.

Age Limit : 40 years Maximum. Relaxation as per DOP order No. F. 17(4)DOP/A-2/2014, 11.01.2022 Last date for submitting hard copy of application **by registered speed post** is **16.08.2024**. College will not be held responsible for any postal delay and will be treated rejected.

Application form, rules and related documents are available on www.ecbharatpur.ac.in

PRINCIPAL

प्ररूप-5
(नियम 6(2) देखिये)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मण्डल मेड़ता सिटी (नागौर) राजस्थान

क्रमांक : न.पा.मे./1457 दिनांक : 26.07.2024

लोक सूचना

निम्नलिखित आवेदक द्वारा नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासिय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूण्ज स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

क्र. सं.	नाम व पता आवेदक का	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	पडोस द्वारा सीमाबद्ध भूखण्ड सं. उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई सहित क्षैत्र: उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
–	नवनीत/रामसिंह जाति-माली निवासी-मेड़ता सिटी	दगडियो व मालियों का मोहल्ला क्षैत्रफल 55.46 वर्गगज	मकान गोपाल भट्ट का	मकान रामलाल माली का	रास्ता	मकान जगदीश व रामचन्द्र का

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्रात करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जावेगा।

यह लोक सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.07.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मेड़ता सिटी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

करेड़ा शाखा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
फोन नं.: 01486-262027, ई-मेल: kareda@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है''** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/ वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	स्व. श्री मुकेश कुमार गन्ना पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल गन्ना एवं स्व. श्रीमती रेखा गन्ना पत्नी स्व. श्री मुकेश कुमार गन्ना जरिये ऋणियों के कानूनी वारिस- श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री मनोहर लाल गन्ना, सुश्री रक्षा गन्ना पुत्री स्व. श्री मुकेश कुमार गन्ना, सुश्री सृष्टि गन्ना पुत्री स्व. श्री मुकेश कुमार गन्ना [संरक्षकता श्रीमती कमला देवी (दादी)] एवं सुश्री काव्या गन्ना पुत्री स्व. श्री मुकेश कुमार गन्ना [संरक्षकता श्रीमती कमला देवी (दादी)] मकान नं. 36, महावीर कॉलोनी, डाक बंगलो रोड, गाँव करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311804 जमानतदार- श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन महावीर कॉलोनी, गाँव करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311804	स्व. श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल गन्ना के नाम साम्यिक बंधक मकान सनद पट्टा नं. 36/13-10-2014, संकल्प नं. 20/13-10-2014 जो गाँव करेड़ा, ग्राम पंचायत करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311804 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 527 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: महावीर गन्ना की सम्पत्ति, उत्तर: माणक लाल अच्छा की सम्पत्ति, दक्षिण: महावीर गन्ना की सम्पत्ति अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	रूपये 14,05,312.08 दिनांक 04.01.2024 को बकाया (दिनांक 30.12.2023 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	30.08.2024 / दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 29,25,000/- / धरोहर राशि- रूपये 2,92,500/- / बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	प्रलक्षित	22.08.2024 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://ebkray.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से दूरभाष नं.- 01486-262027, मोबाईल नं. 8094007071 पर संपर्क कर सकते है।

दिनांक: 24.07.2024
स्थान: भीलवाड़ा

हस्ता.
(योगेन्द्र दंडोतिया)
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा